

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(संसदीय कार्य)

अधि सूचना

म0म0स0— म0म0स0—05 / वे०भ० संशोधन—128 / 2017 **1239** / झारखण्ड विधान मण्डल सचेतक (सुविधा और भत्ता) नियमावली, 2015 के नियम— 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमावली में झारखण्ड के राज्यपाल निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

::संशोधन::

i) नियमावली के नियम—4 को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है :—

“विधान मण्डल के मुख्य सचेतक को वेतन मद में रु० 55,000/- (पचपन हजार) मात्र, उप मुख्य सचेतक को रु० 50,000/- (पचास हजार) मात्र एवं सचेतक को रु० 40,000/- (चालीस हजार) मात्र प्रतिमाह तथा मुख्य सचेतक/उप मुख्य सचेतक/ सचेतक को आतिथ्य भत्ता मद में रु० 45,000/- (पैतालीस हजार) मात्र” प्रतिमाह की दर से देय होगा।”

ii) नियमावली के नियम—5 को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है :—

“विधान—मण्डल के मुख्य सचेतक/ उप मुख्य सचेतक/ सचेतक को प्रतिमाह क्षेत्रीय भत्ता मद में रु० 50,000/- (पचास हजार) मात्र देय होगा।”

iii) नियमावली के नियम—11 को विलोपित किया जाता है।

iv) नियमावली के नियम—12 को नये नियम—12 (i), 12 (ii) से निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है—

12 (i) मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक, झारखण्ड विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2001 और इसके अधीन बनायी गई नियमावली के अन्तर्गत सदस्य के रूप में निम्न सुविधाओं के हकदार होंगे—

a) उप मुख्य सचेतक, सचेतक को घोस्टल, स्टेशनरी एवं कार्यालय व्यय की सुविधान्तर्गत रु० 10,000/- (दस हजार) मात्र प्रतिमाह देय होगा।

b) मुख्य सचेतक को प्रभारी भत्ता के अन्तर्गत राज्य के अन्दर रु० 2,000/- (दो हजार) मात्र एवं राज्य के बाहर रु० 2,500/- (दो हजार पाँच सौ) मात्र प्रतिदिन देय होगा।

- c) उप मुख्य सचेतक, सचेतक को दैनिक भत्ता के रूप में राज्य के अन्दर ₹0 2,000/- (दो हजार) मात्र एवं राज्य के बाहर ₹0 2,500/- (दो हजार पाँच सौ) मात्र प्रतिदिन देय होगा।
 - d) मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक को निःशुल्क कम्प्यूटर/लैपटॉप (प्रिंटर सहित) की सुविधा देय होगी जिसका मूल्य अधिकतक ₹0 70,000/- (सत्तर हजार) मात्र की सीमा के अन्तर्गत होगा। सदस्यता समाप्त होने पर उन्हें कम्प्यूटर/लैपटॉप (प्रिंटर सहित) विधान—मण्डल को वापस कर देना होगा या खरीद कीमत का 10 प्रतिशत राशि वापस किया जायेगा।
- 12 (ii) मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक को प्रतिवर्ष हवाई/जलपोत यात्रा मद में क्रमशः रुपये ₹0 3,00,000/- (तीन लाख) मात्र, ₹0 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) एवं ₹0 2,00,000/- (दो लाख) मात्र अनुमान्य होगा। साथ ही मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक, भारत में हवाई/जलपोत यात्रा के दौरान अपने साथ 03 (तीन) सहयात्री ले जाने के हकदार होंगे। हवाई/जलपोत यात्रा से संबंधित विपत्रों की प्रतिपूर्ति निर्धारित सीमा के अन्दर विपत्र के विरुद्ध विधान सभा द्वारा देय होगा। HOR की सुविधा मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) द्वारा पूर्ववत उपलब्ध कराया जाता रहे गा। मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक को विधान—सभा सदस्यों को देय रेल कूपन की सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।
- v) नियमावली के नियम-16 में अंकित शब्द समूह “मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक को चिकित्सा भत्ता मद में” के पश्चात एवं “देय होगा” के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक “₹0 5,000/- (पाँच हजार)” को “₹0 10,000/- (दस हजार) मात्र प्रतिमाह” से प्रतिस्थापित किया जाता है।
 - vi) नियमावली के नियम-17 में अंकित शब्द समूह “गृह ऋण मद में” के पश्चात एवं अंकित “4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज” के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक “₹0 30,00,000/- (तीस लाख) मात्र” को “₹0 40,00,000/- (चालीस लाख) मात्र” की दर से प्रतिस्थापित किया जाता है।

- vii) नियमावली के नियम-18 में अंकित शब्द समूह "मोटर कार ऋण में" के पश्चात एवं "4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "₹ 15,00,000/- (पंद्रह लाख) मात्र" को "₹ 20,00,000/- (बीस लाख) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- viii) नियमावली के नियम-18 में नया उप नियम 18(i) निम्नरूपेण जोड़ा जाता है :-
 "मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक राशि ₹ 20,00,000/- (बीस लाख) की तय सीमा में एक से अधिक क्रय कर सकेंगे।"
2. यह अधिसूचना दिनांक 01.09.2017 से प्रभावी होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(राजकुमार चौधरी)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक— म०म०स०—०५ / व०भ० संशोधन-१२८ / २०१७ १२३१ / रांची, दिनांक २२.९.२०१७ ई०।

प्रतिलिपि – राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ विकास आयुक्त, झारखण्ड/सदस्य, राजस्व पर्षद/सभी अपर मुख्य सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/ प्रधान राजनीक आयुक्त, झारखण्ड भवन, नई दिल्ली/ सरकार के सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त/ मुख्य सचिव कार्यालय के उप सचिव, झारखण्ड/सभी मंत्रीगण के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक— म०म०स०—०५ / व०भ० संशोधन-१२८ / २०१७ १२३१ / रांची, दिनांक २२.९.२०१७ ई०।

प्रतिलिपि – महालेखाकार, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव


ज्ञापांक— म०म०स०—०५ / व०भ० संशोधन-१२८ / २०१७ १२३१ / रांची, दिनांक २२.९.२०१७ ई०।

प्रतिलिपि – प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान-सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि उक्त निर्णय से सभी माननीय विधायकगण / पूर्व विधायकगण को अवगत कराने की कृपा की जाय।

सरकार के अपर सचिव


ज्ञापांक— म०म०स०—०५/व०भ० संशोधन—१२८/२०१७ १२३९ / रांची, दिनांक २२.९.२०१७ ई०।
प्रतिलिपि— कोषागार पदाधिकारी, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा/डोरण्डा/रांची को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


22.9.2017

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक— म०म०स०—०५/व०भ० संशोधन—१२८/२०१७ १२३९ / रांची, दिनांक २२.९.२०१७ ई०।
प्रतिलिपि— अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को सूचनार्थ एवं
झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि मुद्रित अधिसूचना की 200 प्रतियाँ मंत्रिमंडल सचिवालय एवं
निगरानी विभाग को उपलब्ध करायी जाय।


22.9.2017

सरकार के अपर सचिव